<u>बरेली पुलिस</u>

<u>प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026</u>

<u>थाना मीरगंज जनपद बरेली</u>

<u>थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज के रहने वाले कुख्यात स्मैक तस्कर/दुराचारी व उसके सह अभियुक्त/दुराचारी पुत्र द्वारा स्मैक तस्करी कर अर्जित की गयी करीब 03 करोड़ 20 लाख 15 हजार की अवैध सम्पत्ति को एनडीपीएस की धारा 68 F(2) के अन्तर्गत फ्रीज कराया गया।</u>

<u>थाना मीरगंज पुलिस द्वारा ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज के रहने वाले स्मैक तस्कर अभियुक्त/दुराचारी पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र (HS NO 112 A) व उसके सह अभियुक्त/दुराचारी पुत्र रोहित कुमार शर्मा उर्फ हनी (HS NO 03 B) द्वारा स्मैक तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति (04 वाहन व 04 प्लाट) जिसकी कुल बाजारू वर्तमान कीमत करीब 03 करोड 20 लाख 15 हजार रूपये है, उक्त चल अचल सम्पत्ति अभियुक्त रोहित व इनके अन्य परिवारी जनो के नाम पर रजिस्टर्ड है, को COMPETENT AUTHORITY AND ADMINISTRATOR SAFEM(FOP) ACT & NDPS ACT, DELHI की मदद से एनडीपीएस की धारा 68 F (2)</u> के अन्तर्गत फ्रीज कराया गया। जिसका <u>FREEZING ORDER NO .: ANTF-68F-02/2024 DATED 22.05.26 FILLING NO 202610307040786 है।</u> अभियुक्त पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा वर्ष 1999 से स्मैक तस्करी के अपराध में संलिप्त होकर अंतर्राज्यीय स्तर पर स्मैक तस्करी का कार्य करता है। अभियुक्त पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा द्वारा उत्तरप्रदेश सहित दिल्ली, मध्यप्रदेश जैसे राज्य में भी स्मैक तस्करी की गयी। अभियुक्त वाणिज्यक मात्रा में स्मैक तस्करी करता हुआ कई बार मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वर्ष 2021 से अभियुक्त पंकज उपाध्याय द्वारा अपने पुत्र रोहित शर्मा को भी स्मैक तस्करी के अपराध में सम्मिलित किया गया। इसके पुत्र रोहित द्वारा भी जनपद बरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं आसपास के जनपदो में भी स्मैक तस्करी की गयी एवं कई बार मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह दोनो अभियुक्त गण पिता-पुत्र शातिर किस्म के स्मैक तस्कर है एवं स्मैक तस्करी के अभ्यस्त अपराधी है। यह लोग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अन्तर्राज्यीय स्तर पर बडे पैमाने पर स्मैक तस्करी करते है। क्षेत्र में इनका आंतक व्यापत है, जनता का कोई व्यक्ति इन लोगो के विरूद्द बोलने के लिए तैयार नही है। आम जनमानस में इन लोगो की आम शोहरत खराब है। वर्तमान में अभियुक्त पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा जेल में निरूद्ध है, एवं इसका पुत्र रोहित वांछित/फरार चल रहा है।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र नि0 ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज बरेली HS NO 112 A।</u>

1.मु0अ0सं0 71/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना मीरगंज. बरेली।

2.मु0अ0सं0 2007/06 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना इज्जतनगर, बरेली।

3.मु0अ0सं0 2008/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना इज्जतनगर, बरेली।

4.मु0अ0सं0 1584/99 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, बरेली।

5.मु0अ0सं0 479/26 धारा 60 आवकारी अधिनियम, थाना शहजादनगर, रामपुर।

6.मु0अ0सं0 781/09 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट, थाना जीआरपी, मुरादाबाद।

7.मु0अ0सं0 953/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना जीआरपी, मुरादाबाद।

8.मु0अ0सं0 260/02 धारा 420/465/467/471 भादवि, थाना सब्जीमण्डी, दिल्ली।

9.मु0अ0सं0 106/03 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट, थाना नारकोटिक्स सैल, दिल्ली।

10.मु0अ0सं0 240/02 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना मधोगढ, गब्बा, मध्यप्रदेश।

<u>आपराधिक इतिहास सह अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा नि0 ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज बरेली HS NO 03B</u>

1.मु0अ0सं0 331/21 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना मीरगंज, बरेली।

2.मु0अ0सं0 259/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मीरगंज, बरेली।

3.मु0अ0सं0 71/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना मीरगंज, बरेली।

4.मु0अ0सं0 552/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना बण्डा, शाहजहाँपुर।

<u>पुलिस टीम का विवरण</u>

1.प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार, थाना मीरगंज, बरेली।

2.उ0नि0 महेश कुमार, थाना मीरगंज, बरेली।

3.उ0नि0 पंकज कुमार, थाना मीरगंज, बरेली।

4.का0 3398 विवेक कुमार, थाना मीरगंज, बरेली।